

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

.....सुजयपुरपुर..... जिला के *नगर निगम/*ग्राम परिषद/*ग्राम पंचायतसुजयपुरपुर.....

के वार्ड संख्या44..... से *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम- चंद्र शंकर ठाकुर

पिता/पति का नाम- राम स्वर्ण ठाकुर

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थदण्ड से दंडित किये गये हैं- शुन्य

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:- नहीं शुन्य

(i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- शुन्य

(ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- शुन्य

(iii) किये गये अपराध की प्रकृति-
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित) शुन्य

(iv) दिया गया दण्ड- शुन्य

(v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- शुन्य

(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि- शुन्य

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं? नहीं शुन्य

(i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- शुन्य

(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- शुन्य

(iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- शुन्य

(iv) यदि निष्पादित है, तो

(क) निष्पादन की तिथि- शुन्य

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- शुन्य

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- शुन्य

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- शुन्य

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge) किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें- नहीं शुन्य

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हैं- शुन्य

(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- शुन्य

2. क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर वैसे किसी लॉबित मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:- नहीं

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- शून्य
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शून्य
- (iii) अपराध संख्या शून्य
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शून्य
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शून्य

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कंडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें- नहीं

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है- शून्य
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शून्य
- (iii) अपराध संख्या- शून्य
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शून्य
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शून्य

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लॉबित हो, तो पूर्ण विवरण- शून्य

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

- (i) कृषि भूमि :- 0.23 डीठ (स्वयं का) रघुनाथपुर बस्ती, कुहनी, मुजफ्फरपुर
वर्तमान मूल्य ₹ 6,90,000 = 00 (छह लाख नब्बे हजार)
- (ii) शहरी भूमि- 0.5-11 डीठ (दादा के नाम पर अंकित जिसका आधा हिस्सा स्वयं का होता है) मुसहरा, वार्ड नं० 44, वर्तमान मूल्य-
₹ 77,70,000 = 00 (सत्तर लाख सत्तर हजार)
- (iii) भवन- अधकच्चा मकान (दादा के नाम पर अंकित) 40 वर्ष पुराना
वर्तमान मूल्य ₹ 12,00,000 = 00 (बारह लाख)

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमत:-

(i) नकद - रु 50,000=00 (स्वयं), (ii) बैंक बैलेंस- रु 1,339=78
रु 30,000=00 (पत्नी का) (बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें।)

(iii) फिक्स डिपॉजिट शून्य
(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

(iv) बॉण्ड, शेयर- LIC का दो बॉण्ड
कुल कीमत 621,05,000=00
(इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)

(v) वाहन शून्य
(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन
पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)

(vi) आभूषणों का विवरण होना - 20 ग्राम
(पूर्ण विवरण दें) वर्तमान मूल्य- 9,80,000=00
चाँदी 15 ग्राम, वर्तमान मूल्य- 99,000=00
(सभी आभूषण पत्नी का हैं)

6. ** (क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/

वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएँ
(प्रमाण-पत्रों के साथ)

शून्य

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति

शून्य

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज

के नाम के साथ अंकित करें- माट्रिक्स हायर, माडवारी रई स्कूल, मुजफ्फरपुर

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- मुजफ्फरपुर

तिथि- 24/09/2022

चंद्रशेखर 6195
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वैद्यक/प्रोपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया।

नोट :- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।

स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।

Date 22 SEP 2022
Book No. 28 SI No. 65



प्रपत्र-ख
शपथ-पत्र

मैं, चन्द्र शेरकर ठाकुर पिता/पति राम चक्रप ठाकुर
उम्र 56 वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 44
मोहल्ला रजाम टोली, चन्दवारा प्रधान डाकघर, थाना नगर, जिला मुजफ्फरपुर
बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के
वार्ड संख्या 44 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर
पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड 44 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य
पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य है।

चन्द्र शेरकर ठाकुर
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - अविनाश कुमार
नाम- अविनाश कुमार शर्मा
पता- रजाम टोली, चन्दवारा, मुजफ्फरपुर

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर संजय कुमार शर्मा
नाम- संजय कुमार शर्मा
पता- रजाम टोली, चन्दवारा, मुजफ्फरपुर

स्थान : मुजफ्फरपुर

दिनांक : 22/09/22

Contents of the Affidavit Deed
solemnly affirmed and declared
before me through Deponent/Executant
identified by Advocate

लगातार

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर के समक्ष शपथ ली जाएगी।

MANOJ KUMAR SHARMA
NOTARY, MUZAFFARPUR

SUNITA KUMARI
ADVOCATE
22/09/22